झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 14/02/2020 ई0।

13/पी0$_1$–104/2019– 836 /सी0, श्री अनुराग गुप्ता, भा0पु0से0 (1990) के विरूद्ध झारखण्ड में संपन्न राज्य सभा चुनाव, 2016 के दौरान पद का दुरूपयोग कर वोटरों के मताधिकार का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव प्रभावित करने के आरोप को प्रथम द्रष्टया सत्य पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली, 1968 के नियम–5(1) एवं 5(4) के उल्लंघन के संदर्भ में इस विभाग के ज्ञापन संख्या–2177, दिनांक–13.04.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। श्री गुप्ता द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है। यह आचरण अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली, 1968 के नियम–3(1) के प्रतिकूल है। इस आरोप की गंभीरता के मद्देनजर ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव, 2019 निर्वाचन अवधि में श्री गुप्ता को राज्य से बाहर रहने का निदेश दिया गया था।

उपरवर्णित राजनीतिक तटस्थता के उल्लंघन संबंधी आरोप की संवेदनशीलता के मद्देनजर श्री अनुराग गुप्ता, भा0पु0से0 (1990), अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–3(1)(a) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलबंन अवधि में श्री अनुराग गुप्ता, भा0पु0से0 का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची होगा।

3. श्री गुप्ता, भा0पु0से0 को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 4(1) एवं 4(2) के अन्तर्गत निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(शैलेश कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–13/पी0$_1$–104/2019– 836 / राँची, दिनांक– 14/02/2020 ई0।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, पो0–डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–13/पी0$_1$–104/2019– 836 / राँची, दिनांक– 14/02/2020 ई0।

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव(पुलिस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा/महानिदेशक, झा0स0पु0, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.2.2020

सरकार के अवर सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~